राष्ट्रीय
डोप रोधी
एजेंसी

निष्पक्ष खेल
Play fair



एथलीट डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस

नाडा–प्रामाणिक, आभासी और समावेशी

प्रस्तावना

डोप नियंत्रण (परीक्षण) एक ऐसा टूल है जिसका उपयोग डोप रोधी संगठन (एडीओ) खेल के मैदान में समरूपता और स्वच्छ खेलों को सुनिश्चित करने के लिए करती हैं।

किसी भी डोप–रोधी कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू नमूने का संग्रह करना होता है। इसमें एथलीट के रक्त, मूत्र, सूखे खून के धब्बे या किसी अन्य वाडा–अनुमोदित नमूने को एकत्र करना शामिल होता है, इसके बाद इनका समुचित दस्तावेजीकरण, नमूनों की तैयारी और वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजना होता है।

खेलों में भाग लेने वाले एथलीट्स और जो डोप रोधी नियमों के अंतर्गत आते हैं, उनके मूत्र और/या रक्त की जाँच उनके अंतराष्ट्रीय संघ (आईएफ), राष्ट्रीय डोप रोधी संगठन (नाडो) या प्रमुख कार्यक्रम आयोजक (एमईओ) द्वारा किसी भी समय, कहीं पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए, सभी परीक्षण विशेष रूप से प्रशिक्षित डोप नियंत्रण कर्मी (डीसीपी) करते हैं।

परीक्षण प्रतिस्पर्धा के दौरान और प्रतिस्पर्धा के बाहर अवधि में, जैसे कि एथलीट के आवास, कार्यस्थल या प्रशिक्षण स्थल पर किया जा सकता है।

परीक्षण के लिए एथलीट्स का चयन कैसे किया जाता है?

- प्रतिस्पर्धा के दौरानः एथलीट्स का रैंडम चयन, अंतिम स्थिति या किसी विशेष कारण से आवश्यक होने पर किया जा सकता है।

- प्रतिस्पर्धा के बाहरः एथलीट्स का किसी भी समय, कहीं पर भी, और बग़ैर अग्रिम सूचना के डोप परीक्षण किया जा सकता है।

यदि कोई एथलीट अवयस्क है अथवा विकलांग है, ऐसे में जहां कहीं आवश्यक और संभव होता है, नमूना संग्रह प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है।



परीक्षण (मूत्र)

परीक्षण प्रक्रिया के 11 चरणों में शामिल हैं :

चरण 1

एथलीट चयन

एथलीट्स को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर डोप परीक्षण के लिए चयन किया जा सकता है।

चरण 2

अधिसूचना

एथलीट को डोप नियंत्रण अधिकारी (डीसीओ) या संरक्षक सूचित करता है कि उन्हें डोप नियंत्रण प्रक्रिया (परीक्षण) के लिए चुना गया है और उन्हें यह भी बताया जाता है कि किस एडीओ प्राधिकरण के तहत उनका परीक्षण किया जा रहा है।

चरण 3

डोप नियंत्रण स्टेशन पर रिपोर्टिंग

एथलीट को तुरंत डोप नियंत्रण स्टेशन पर रिपोर्ट करनी चाहिए (यद्यपि, डीसीओ/बीसीओ और संरक्षक द्वारा अधिसूचित किए जाने पर उन्हें पदक समारोह आदि के लिए छूट दी जा सकती है)

चरण 4

नमूना संग्रहण पात्र का चयन

एथलीट डोप नियंत्रण कार्मिक द्वारा उपलब्ध कराए गए पात्रों में से मूत्र नमूना संग्रहण पात्र का चयन करेगा।

चरण 5

नमूना प्रदान करना

जब एथलीट नमूना देने के लिए तैयार होता है, डीसीओ या संरक्षक मूत्र नमूना प्रदान करते समय साक्षी के तौर पर रहेगा।

चरण 6

मूत्र की मात्रा

मूत्र के नमूनों के लिए न्यूनतम 90 एमएल की आवश्यकता होती है। यदि पहला नमूना 90 एमएल नहीं है, तो एथलीट को प्रतीक्षा करने और एक अतिरिक्त नमूना देने के लिए कहा जा सकता है।



चरण 7

नमूने का विभाजन

एथलीट अपने मूत्र को ए और बी बोतलों में विभाजित करेगा, जिससे नमूना संग्रह पात्र में मूत्र की शेष मात्रा बच जाएगी। बी नमूना एथलीट को उनके ए नमूना के वापस आने और प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष (''पॉजिटिव'' परिणाम) होने की स्थिति में दूसरा विश्लेषण करवाने का अवसर प्रदान करता है।

चरण 8

नमूना सीलबंद करना

ए और बी बोतलों को एथलीट सील करेगा।

चरण 9

विशिष्ट गंभीरता का मापन

डीसीओ एथलीट के मूत्र की विशिष्ट गंभीरता मापता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह प्रयोगशाला मानकों को पूरा करता है या नहीं। यदि नमूना बहुत पतला है तो एथलीट को अतिरिक्त नमूना (नमूने) देने के लिए कहा जाएगा।

चरण 10

डोप नियंत्रण फार्म (डीसीएफ) पूरा करना

एथलीट डीसीएफ को कागज या डिजिटल प्रारूप में डीसीओ के पास भरता है। एथलीट से व्यक्तिगत जानकारी, इस्तेमाल किए गए पदार्थों या विधियों की सूची और डोप नियंत्रण प्रक्रिया से संबंधित कोई भी टिप्पणी देने के लिए कहा जाता है। एथलीट को डीसीएफ की एक प्रिंट या डिजिटल कॉपी मिलती है।

चरण 11

नमूना प्रयोगशाला में भेजा जाता है

एथलीट का सीलबंद नमूना सुरक्षित किया जाता है और इसे वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजा जाता है। नमूने के साथ आने वाली डीसीएफ प्रयोगशाला प्रति अनाम रखी जाती है, जिसमें केवल नमूने की बोतल संख्या, खेल का नाम और एथलीट का लिंग दर्शाया जाता है।



परीक्षण (रक्त)

परीक्षण प्रक्रिया के 9 चरणों में शामिल हैं:

चरण 1

एथलीट चयन

एथलीट को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर परीक्षण के लिए चुना जा सकता है।

चरण 2

अधिसूचना

एथलीट को डोप नियंत्रण अधिकारी (डीसीओ) या संरक्षक द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्हें डोप नियंत्रण (परीक्षण) के लिए चुना गया है और उन्हें बताया जाता है कि किस एडीओ प्राधिकरण के तहत उनका परीक्षण किया जा रहा है।

चरण 3

डोपिंग नियंत्रण स्टेशन को रिपोर्ट करना

एथलीट को तुरंत डोप नियंत्रण स्टेशन पर रिपोर्ट करनी चाहिए (यद्यपि, एक बार चेक इन किए जाने के बाद उन्हें पदक समारोह आदि के लिए छूट दी जा सकती है)।

चरण 4

रक्त संग्रह किट का चयन

एथलीट डोप नियंत्रण कार्मिक द्वारा उपलब्ध कराए गए पात्रों में से रक्त संग्रहण किट का चयन करेगा।

चरण 5

नमूना प्रदान करना

वेनपंक्चर से पहले एथलीट को कम से कम 10 मिनट तक बैठे रहने और आराम करने के लिए कहा जाएगा।

रक्त संग्रहण अधिकारी (बीसीओ) एथलीट की नॉन–डोमिनेंट आर्म आगे बढ़ाने के लिए कहेगा, ऊपरी भुजा पर एक टर्निकेट लगाएगा और पंचर वाली जगह की त्वचा साफ करेगा। बीसीओ एथलीट से रक्त लेगा और प्रत्येक वैक्यूनेटर ब्लड ट्यूब में आवश्यक मात्रा में रक्त भरेगा।



सूखे रक्त स्पॉट विश्लेषण के लिएः डीसीओ/बीसीओ पंचर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान का आकलन करेगा, जिससे एथलीट या उनके खेल प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

एथलीट सैंपल कलेक्शन साइट को वॉर्म करेगा। डीसीओ/बीसीओ स्टेराइल डिसइन्फेक्टेंट पैड या स्वैब से ब्लड सैंपल साइट को डिसइन्फेक्ट करेगा।

डीसीओ/बीसीओ उंगलियों के पोरों या ऊपरी बांह से रक्त एकत्र करेगा।

चरण 6
नमूने का विभाजन

बीसीओ वैक्यूटेनर ट्यूबों को ए और बी किट में रखेगा (यदि रक्त का नमूना एबीपी प्रोग्राम के भाग के रूप में एकत्र किया जाता है, तो केवल एक शीशी की आवश्यकता हो सकती है)।

सूखे रक्त स्पॉट विश्लेषण के लिएः डीसीओ/बीसीओ डीबीएस नमूनों को एक सुरक्षित किट में स्थानांतरित करेगा जिसे ए और बी के रूप में लेबल किया जाता है।

चरण 7
नमूने सील करना

एथलीट ए और बी बोतलों को सील करेगा।

चरण 8
डोप नियंत्रण फार्म (डीसीएफ) को पूरा करना

एथलीट डीसीएफ को कागज़ या डिजिटल प्रारूप में डीसीओ के पास भरता है। एथलीट से व्यक्तिगत जानकारी, इस्तेमाल किए गए पदार्थों या विधियों की सूची और डोप नियंत्रण प्रक्रिया से संबंधित कोई भी टिप्पणी देने के लिए कहा जाता है। एथलीट को डीसीएफ की एक प्रिंट या डिजिटल कॉपी मिलती है।

चरण 9
नमूना प्रयोगशाला को भेजा जाता है

एथलीट के सीलबंद नमूने को सुरक्षित करके वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजा जाता है। नमूने के साथ आने वाली डीसीएफ की प्रयोगशाला प्रति को अनाम रखा जाता है, जिसमें केवल नमूने की बोतल संख्या, खेल और एथलीट का लिंग दर्शाया जाता है।



विलंब का अनुरोध

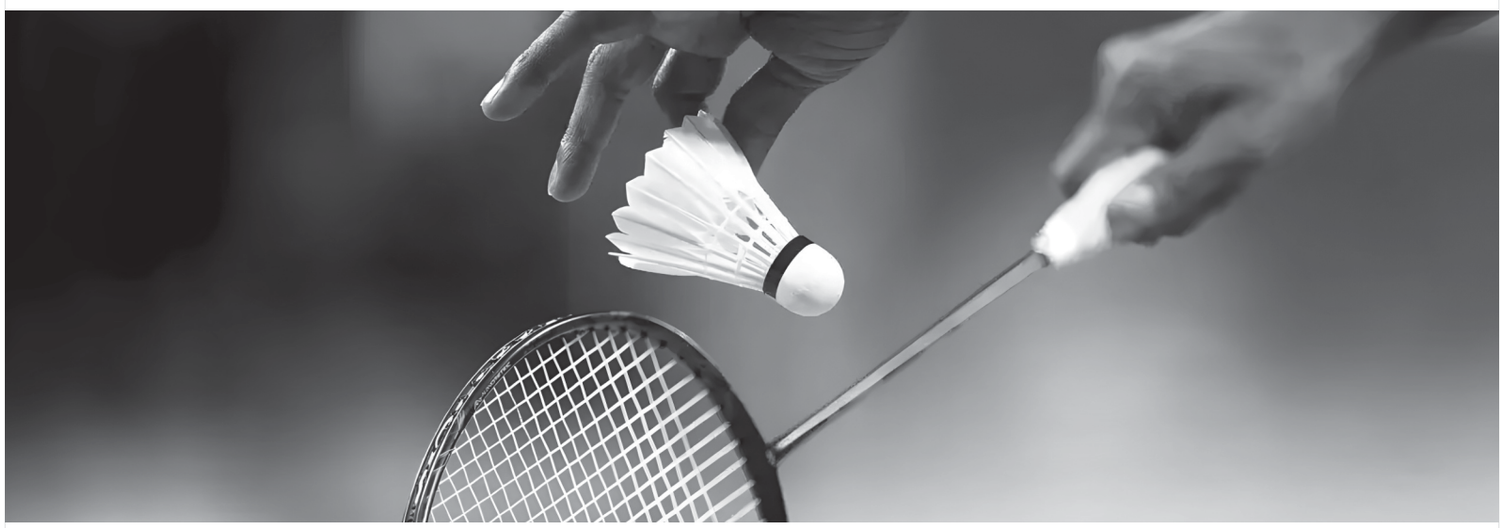
ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ किसी एथलीट को डोप नियंत्रण स्टेशन पर तुरंत रिपोर्ट करने में देरी हो सकती है। एथलीट्स को निम्नलिखित अनुमतेय कारणों से देरी के संबंध में अनुरोध करने का अधिकार है। देरी की अनुमति डोप नियंत्रण कार्मिक द्वारा लिया गया निर्णय है, जिसने आपको सूचित किया है।

प्रतिस्पर्धा के दौरान अवधि में एथलीट निम्नलिखित के संबंध में देरी के लिए अनुरोध कर सकता है:

- पदक समारोह में भाग लेना
- मीडिया की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना
- आगे प्रतिस्पर्धा में शामिल होना
- वार्म–डाउन
- चिकित्सीय इलाज प्राप्त करना
- दुभाषिए की खोज़ करना
- कोई अन्य असाधारण परिस्थितियां जो न्यायोचित हो सकती हैं, तथा जिनका दस्तावेजीकरण किया जायेगा

प्रतिस्पर्धा के बाहर अवधि में एथलीट निम्नलिखित के संबंध में देरी के लिए अनुरोध कर सकता है:

- पदक समारोह में भाग लेना
- मीडिया की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना
- आगे प्रतिस्पर्धा में शामिल होना
- वार्म–डाउन
- चिकित्सीय इलाज प्राप्त करना
- दुभाषिए की खोज़ करना
- कोई अन्य असाधारण परिस्थितियां जो न्यायोचित हो सकती हैं, तथा जिनका दस्तावेजीकरण किया जायेगा



अवयस्कों और विकलांग एथलीट्स के लिए संशोधन

अवयस्कों का परीक्षण करते समय, प्रक्रिया में मुख्य संशोधन निम्नानुसार हैं, जिनके बारे में एथलीट्स को पता होना चाहिए

- अवयस्कों को डोप नियंत्रण कार्मिक (डीसीपी) द्वारा एथलीट प्रतिनिधि (जो अवयस्क नहीं है) की मौजूदगी में परीक्षण के लिए अधिसूचित किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय शासी निकाय का प्रतिनिधि, कोच, माता–पिता आदि हो सकता है। यदि अवयस्क प्रतिनिधि को अस्वीकार कर देता है, तो ऐसे में डीसीपी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई अन्य वयस्क, जैसे कि कोई अन्य डीसीपी, मौजूद रहे। यदि कोई वयस्क मौजूद नहीं है, तो अधिसूचना तब तक रोक दी जाएगी जब तक कि कोई वयस्क उपलब्ध न हो जाए।

- अवयस्कों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें परीक्षण के लिए सूचित किया जाता है तो वे अपने साथ एक प्रतिनिधि ले जाएं। यह प्रतिनिधि अधिसूचना के दौरान मौजूद वही वयस्क हो सकता है या कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है। एथलीट को प्रतिनिधि का पता लगाने के लिए डीसीपी और एक वयस्क द्वारा निगरानी की जाएगी।

- अधिसूचना के बाद किसी भी समय डीसीपी को अकेले अवयस्क के साथ नहीं छोड़ा जाएगा।

- जब कोई एथलीट सैंपल देने के लिए तैयार होता है, तो एथलीट को सैंपल देते हुए देखने वाले डीसीपी को हमेशा एक पर्यवेक्षक के साथ रहना चाहिए जो उन्हें और उनके आचरण को देखता रहे। एथलीट का प्रतिनिधि भी, यदि मौजूद है, डीसीपी के साथ रहेगा और एथलीट को सैंपल देते हुए देखने वाले डीसीपी पर नज़र रखेगा। केवल डीसीपी को ही एथलीट को सैंपल देते हुए सीधे देखना है। जब तक कि एथलीट द्वारा अनुरोध न किया जाए, न तो दूसरे पर्यवेक्षक और न ही एथलीट के प्रतिनिधि को उसे सीधे मूत्र करते हुए देखना चाहिए।

विकलांग एथलीट्स का परीक्षण करते समय, प्रक्रिया में मुख्य संशोधन इस प्रकार हैं जिनके बारे में एथलीट्स को जानकारी होनी चाहिए:

- शारीरिक विकलांगता या सीमित गतिशीलता या हस्त–निपुणता वाले एथलीट नमूना संग्रह उपकरण संभालने, नमूना विभाजित करने या डीसीएफ पूरा करने के दौरान सहायता के लिए किसी वयस्क एथलीट प्रतिनिधि या डीसीओ से पूछताछ कर सकते हैं। प्रतिनिधि डीसीएफ के आवश्यक अनुभागों को पूरा कर सकता है और एथलीट की ओर से फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है, यदि एथलीट ऐसा करने में असमर्थ है।



एथलीट (एबीपी) प्रोग्राम क्या है?

- एथलीट (एबीपी) के पीछे का सिद्धांत समय के साथ चयनित बायोमार्कर्स (जैविक मापदंडों) की निगरानी करना है, जो शरीर पर डोप के प्रभावों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट कर सकता है।

- प्रत्येक एथलीट के लिए देशांतरीय प्रोफाइल सांख्यिकीय टूल्स के आधार पर तैयार की जाती है जो एथलीट के पिछले नमूनों से डेटा का उपयोग करके भविष्य के नमूनों के लिए संभावित व्यक्तिगत सीमाओं या संदर्भ सीमा का अनुमान लगाते हैं।

- यदि किसी नमूने से प्राप्त कोई डेटा एथलीट की संदर्भ सीमा से बाहर आता है, तो यह असामान्य वैल्यू डोप या किसी रोगनिदान संबंधी स्थिति का संकेत हो सकता है।

- वर्तमान में एबीपी प्रोग्राम में तीन मॉड्यूल कार्यान्वित किए गए हैं: हेमेटोलॉजिकल, स्टेरॉयडल और एंडोक्राइन मॉड्यूल।

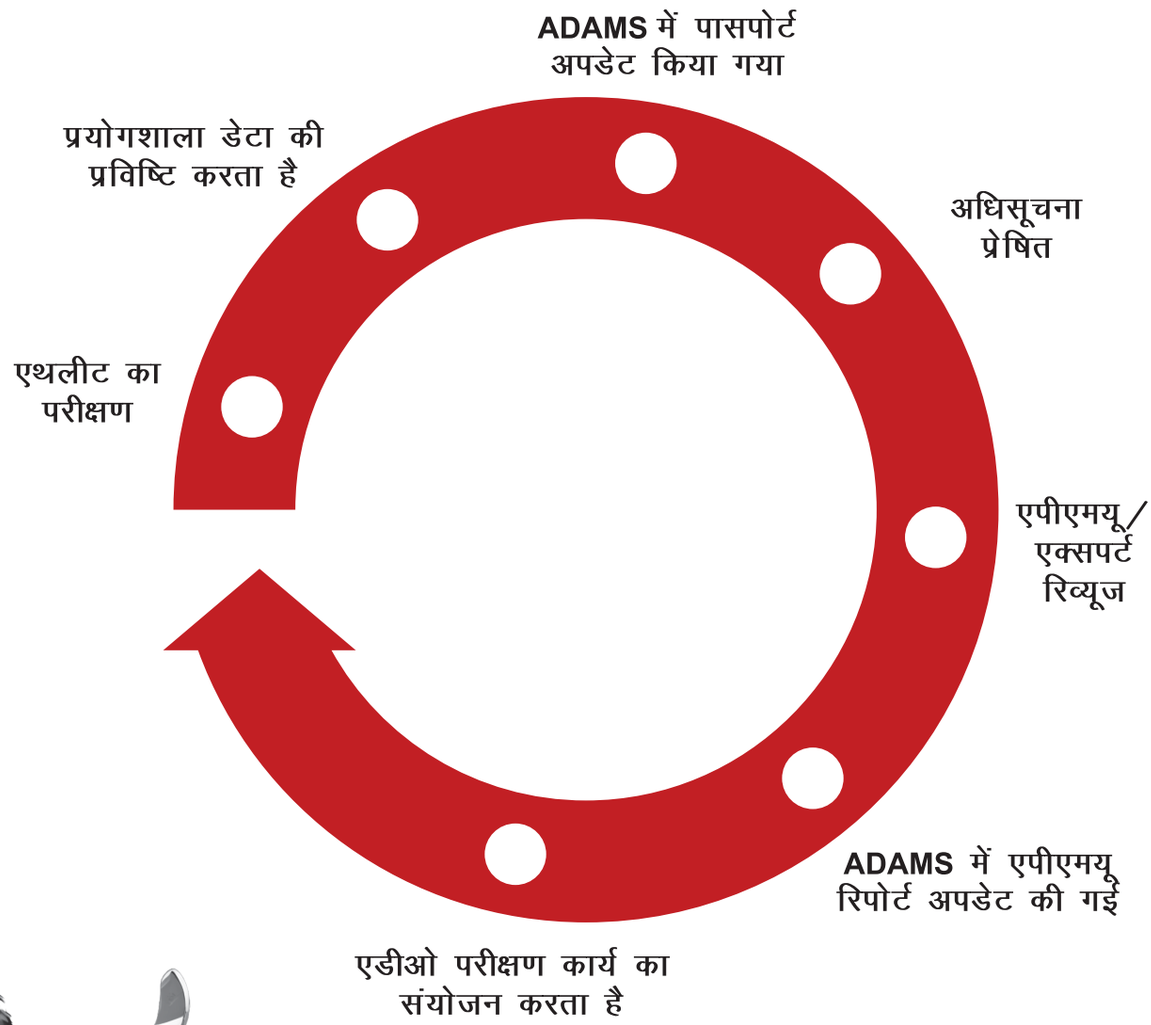
एबीपी प्रोग्राम के उद्देश्य

- इसका उपयोग असामान्य प्रोफाइल वाले एथलीट्स पर लक्षित, पारंपरिक डो–रोधी परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है।

- इसका उपयोग डोप रोधी नियम उल्लंघन मामले में डोप के पुष्टिकरण साक्ष्य के रूप में भी किया जा सकता है।



एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट की प्रक्रिया





एबीपी प्रोग्राम के मॉडयूल्स

1. **हेमेटोलॉजिकल मॉडयूलः** हेमेटोलॉजिकल मॉडयूल रक्त डोप के मार्करों पर जानकारी एकत्र करता है। इस मॉड्यूल का उद्देश्य ऑक्सीजन का परिवहन या वितरण बढ़ाने के लिए निषिद्ध पदार्थों और/या निषिद्ध विधियों के उपयोग की पहचान करना है, जिसमें एएईज का उपयोग और रक्त ट्रांसफ्यूजन या मैनिपुलेशन का कोई भी रूप शामिल है।

 एबीपी हेमेटोलॉजिकल मॉडयूल के भीतर निम्नलिखित ब्लड वेरिएब्लस पर विचार किया जाता है, अर्थात असामान्य रक्त प्रोफाइल स्कोर, हेमेटोक्रिट, हीमोग्लोबिन, ईमैच्योर रेटिकुलोसाइट फ्रेक्शन, औसत कॉर्पसकुलर हीमोग्लोबिन, औसत कॉर्पसकुलर हीमोग्लोबिन कन्सेनट्रेशन, औसत कॉर्पसकुलर मात्रा, ऑफ–स्कोर, प्लेटलेट काउंट, लाल रक्त कोशिका (एरिथ्रोसाइट) काउंट, लाल कोशिका वितरण चौड़ाई (मानक विचलन), रेटिकुलोसाइट्स काउंट, रेटिकुलोसाइट्स प्रतिशत, सफेद रक्त कोशिकाएं

2. **स्टेरॉयडल मॉडयूलः** स्टेरॉयडल मॉडयूल मूत्र और/या सीरम नमूनों में मापे गए स्टेरॉयड डोप के मार्करों पर जानकारी एकत्र करता है। मॉडयूल का उद्देश्य बाहरी रूप से प्रशासित होने पर अंतर्जात एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड (ईएएएस) की पहचान करना है।

 स्टेरॉयडल मॉडयूल मूत्र के नमूनों की पहचान करने का भी एक प्रभावी साधन है, जिनके साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो या जिन्हें किसी अन्य व्यक्ति के मूत्र के साथ बदल दिया गया हो।

3. **एंडोक्राइन मॉडयूलः** एंडोक्राइन मॉडयूल एचजीएच डोप के मार्करों पर जानकारी एकत्र करता है। मॉडयूल का उद्देश्य एचजीएच के उपयोग और साथ ही निषिद्ध सूची की धारा एस2.2 के तहत वर्गीकृत एचजीएच एनालॉग्स, फ्रैगमेंटस और रिलीजिंग कारकों के उपयोग का पता लगाना है।

 यह मॉडयूल इंसुलिन जैसी वृद्धि कारक–I (आईजीएफ–I) के उपयोग को भी इंगित कर सकता है, जिसे निषिद्ध सूची की धारा एस2.3 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।



एथलीट्स के अधिकार और ज़िम्मेदारियां

एथलीट्स को अधिकार:

1. डोप नियंत्रण स्टेशन पर उनके साथ जाने के लिए अपनी पसंद का एक प्रतिनिधि नामित करें।
2. दुभाषिए का अनुरोध करें।
3. नमूना संग्रहण प्रक्रिया के बारे में जानकारी हेतु अनुरोध करें।
4. वैध कारणों से डोप नियंत्रण स्टेशन पर रिपोर्ट करने में देरी का अनुरोध करना या रिपोर्ट करने के बाद डोप नियंत्रण अधिकारी की सहमति से, संरक्षक की पूरी जानकारी में, डोप नियंत्रण स्टेशन को छोड़ना।
5. यदि वे विकलांग हैं तो संशोधन के लिए अनुरोध करना।
6. प्रक्रिया के संबंध में अपनी किसी भी समस्या का दस्तावेजीकरण करना।

एथलीट्स की ज़िम्मेदारी

1. डोप रोधी नीति (सटीक वेअरअबाउटस सूचना प्रदान करने सहित) के बारे में जागरूक रहें और उसका अनुपालन करें।
2. नमूना संग्रहण प्रक्रिया के लिए उपलब्ध रहें और उसका अनुपालन करें।
3. नमूना संग्रहण प्रक्रिया पूरी होने तक हर समय अधिकारी की नजर में रहें।
4. यथाशीघ्र अथवा 60 मिनट के भीतर डोप नियंत्रण स्टेशन पर रिपोर्ट करें।
5. उपकरण को संभालना, नमूना संग्रह का स्वयं रखरखाव करना तथा नमूने को विभाजित करना, सील करना तथा सुरक्षित करना।
6. सभी दस्तावेज सही–सही भरें और सुनिश्चित करें कि उन पर हस्ताक्षर किए गए हों।
7. प्रतिबंधित पदार्थों के प्रति सचेत रहें।

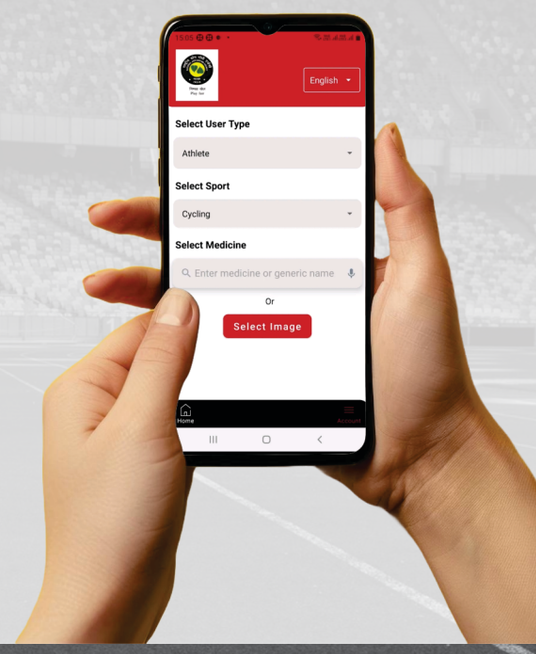


किसी भी प्रतिबंधित दवा के कारण अपना खेल कैरियर बर्बाद न होने दें

एथलीट किसी दवा या उसके अवयवों पर प्रतिबंध की स्थिति का आसानी से पता लगाकर अनजाने में होने वाली डोप से स्वयं को बचा सकते हैं।

नो यूअर मेडिसिन ऐप

क्यूआर कोड स्कैन करें डाउनलोड



हमसे जुड़ें:

नोट:– विरोधाभास की स्थिति में अग्रेंजी रुपान्तर मान्य होगा।

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

#SAYNO TODOPING | TODAY & EVERYDAY

राष्ट्रीय
डोप रोधी
एजेंसी

निष्पक्ष खेल
Play fair

हॉल नंबर 103–104, प्रथम तल,
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली–110003
फोन: 91–11–24368274, 011–24368248, 1800 11 9919
ईमेल: info.nada@nic-in

लॉग इन करें **nadaindia.yas.gov.in**

